

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 173 : 1994 के अधिनियम संख्यांक 32 का संशोधन

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का लोप किया जाएगा।
